


रिपोर्ट पटवारी एवं नू-अभिलेख निरीक्षक

प्राचीं द्वारा पेश प्रमाणित कला, दस्तावेज जमानदी अंतर्गत जांच की गरी प्राचीं का नाम राजेश्वर देवसि में मुकेशचंद्र पिता रतनलाल जाट दर्ज है दस्तावेजों में नाम भागीरथ पिता ~~मुकेशचंद्र~~ रतनलाल जाट दर्ज है अतः प्राचीं का नाम ^{ग्राम:- सालेरा खुर्द} योत्ता-175 में मुकेशचंद्र पिता रतनलाल के बजाय मुकेशचंद्र उर्फ भागीरथ पिता रतनलाल जाट दर्ज किया जाय उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार


प. लाल सिंह
04/07/2025
I.P. साकरा

प्रहोदय

प्राचीं द्वारा दस्तावेजों व अंशों में दिखते अत्रुक्त ग्राम सालेरा खुर्द के दस्तावेजों में जमानदी अंतर्गत 175 में प्राचीं का नाम मुकेशचंद्र पि. रतनलाल जाट दर्ज है जबकि प्राचीं के अन्य दस्तावेजों में प्राचीं का नाम भागीरथ पुत्र रतनलाल जाट दर्ज है अतः प्राचीं का नाम मुकेशचंद्र पुत्र रतनलाल व भागीरथ पुत्र रतनलाल उर्फ प्राचीं का नाम उल्टा कर दस्तावेजों में मुकेशचंद्र पुत्र रतनलाल के बजाय भागीरथ उर्फ मुकेशचंद्र पि. रतनलाल जाट दर्ज किये जाने के आदेशार्थ

-- आदेश --

तहसीलदार, मावली
जिला-उदयपुर (राज.)

प.सं. - 164/25 विविध दिनांक - 29/9/25

तहसीलदार मावली की अनुशंसा पर खातेदार मुकेश पुत्र रतनलाल जाट के बजाय भागीरथ उर्फ मुकेश पुत्र रतनलाल जाट दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।



उपसचिव अधिकारी
जिला उदयपुर

